कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन अपराध में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर से निरस्त

प्रेस विज्ञप्ती (**62/25**, दिनांक **29.09.2025)**

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा आसूचना तंत्र विकसित कर क्षेत्रीय इकाई इंदौर एवं वन्यजीव कार्यालय इंदौर के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये दिनांक 19-08-2025 को आरोपी कपिल पिता मोहनलाल शर्मा के खातीवाला टेंक स्थित मकान व उसके आफिस से Star Tortoies *(Geochelone elegans)* 04 नग, तोता 01 नग*(Psittacula eupatria)* ब्लेक कोरल 01 नग *(antipatharians)*, सियारसिंगी *(Canis aureus)* 01 नग, कोरल*(Diploria labyrinthiformis)* 02 नग, एवं अन्य वन्यजीव अवयव जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 2022) की अनुसूची प्रथम एवं अनुसूची द्वितीय के है, जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/21 दिनांक 19.08.25 दर्ज किया गया। ।

प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी कपिल शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर में प्रथम जमानत याचिका MCRC 39513/25 क्रमशः दायर की, जिसे माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स क्षेत्रीय इकाई इंदौर द्वारा की गई सटिक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो व अपराध की गंभीरता, प्रकरण में तथ्यों एवं परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी की प्रथम जमानत आवेदन पत्र बीएनएसएस की धारा 483 के तहत निरस्त की गई। इसके पूर्व भी आरोपी जमानत याचिका माननीय सत्र न्यायायलय इंदौर, माननीय सीजेएम न्यायालय इंदौर से निरस्त की जा चुकी है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल